

प्रेषक,

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौडी.

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
उत्तराखण्ड शासन.

01 / दिसम्बर

पत्रांक R-1054 / कार्य-7-1(58) / सिटीजनचार्टर / 2016.17 दिनांक नवम्बर, 2016
विषय विभागीय सिटीजन चार्टर तैयार कर उपलब्ध कराने के सम्बंध में.
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 930 / XI(1)/2016(53)2016 दिनांक 15.11.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें. शासन के उक्त पत्र के क्रम में विभागीय सिटीजन चार्टर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / विशेष कार्याधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम / बी.ए.डी.पी. विकास भवन सर्वे चौक द्वारा बार-2 अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है. शेष कार्यक्रमों के सम्बंध में सिटीजन चार्टर तैयार कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है.

संलग्न- यथोक्त

भवदीय,

(एन.एस.रावत)

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,

प्रतिलिपि- उप निदेशक / विशेष कार्याधिकारी, राज्य डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय के साथ कि संलग्न सिटीजन चार्टर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें.

संलग्न- यथोक्त

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,

प्रेषक,

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौडी.

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
उत्तराखण्ड शासन.

01 दिसम्बर

पत्रांक R-1054/कार्य-7-1(58)/सिटीजनचार्टर/ 2016.17 दिनांक नवम्बर, 2016
विषय विभागीय सिटीजन चार्टर तैयार कर उपलब्ध कराने के सम्बंध में.
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 930/XI(I)/2016(53)2016 दिनांक 15.11.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें. शासन के उक्त पत्र के क्रम में विभागीय सिटीजन चार्टर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विशेष कार्याधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम/ बी.ए.डी.पी. विकास भवन सर्वे चौक द्वारा बार-2 अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है. शेष कार्यक्रमों के सम्बंध में सिटीजन चार्टर तैयार कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है.

संलग्न- यथोक्त

संवेदीय,

(एन.एस.रावत)

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,

प्रतिलिपि- उप निदेशक/ विशेष कार्याधिकारी, राज्य डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय के साथ कि संलग्न सिटीजन चार्टर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें.

संलग्न- यथोक्त

प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास,

सिटीजन चार्टर, ग्राम्य विकास विभाग

क्र. सं.	कार्यक्रम / सेवा	सेवा प्रदाता अधिकारी का पद नाम	सूचना देने की अवधि	प्रथम अपीली अधिकारी	द्वितीय अपीली अधिकारी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	
	(1) महत्त्वा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना						
1	श्रम रोजगार उपलब्ध कराना	ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत / रेखीय विभाग	जॉब कार्ड धारक की मांग के 15 दिन में	कार्यक्रम अधिकारी / ख.विकास अधिकारी	जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी	निर्धारित अवधि में जॉब कार्ड धारक को रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की दशा में बेरोजगारी भत्ते का प्राविधान है	
2	मजदूरी भुगतान	कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी के खाते में	15 दिन अधिकतम	कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी	जिला कार्यक्रम समन्वय / जिलाधिकारी	---	
	(2) इन्दिरा आवास योजना परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)						
1	वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आकड़ों के आधार पर लाभार्थियों का चयन	ग्रा.वि.अधिकारी / खण्ड विकास कार्यालय	30 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी	योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार आवासीय योजनान्तर्गत आवास हेतु प्राप्त होने पर सूची का ग्राम पंचायत से अनुमोदन कर आवास सॉफ्ट में अपलोड करना.	
2	योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की सूची सूचनापत्र पर चर्या	ग्रा.वि.अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी	15 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> ■ विकास खण्ड स्तर से नियत अवधि में सूचना उपलब्ध कराना। विकास खण्ड, ग्राम पंचायत तथा जनपद स्तर पर का सूची का प्रकाशन. ■ ग्राम पंचायत स्तर पर दीवारों अथवा सूचनापटों पर विज्ञापने प्रदर्शित करना. ■ उक्त विवरण में विभिन्न घटकों के तहत एक वर्ष के लिए चयनित लाभार्थियों के नाम व पते. ■ चयन के लिए उपयोग किये गये मानदण्ड. 	
3	लाभार्थी का पंजीकरण आवास सॉफ्ट में		15 दिन	ख.वि.अधि.	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए.	
4	लाभार्थी परिवार को आवास आबंटन की प्रक्रिया सहित आवास सॉफ्ट में एम.आई.एस. अपडेशन का कार्य	खण्ड विकास अधिकारी	31 दिसम्बर तक अनिवार्य	---	---	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर के उपरान्त कोई आवास आबंटन नहीं किया जायेगा लाभार्थी के पंजीकरण में उसके निजी विवरणों बैंक / डाकघर खाता सं0, आधार नम्बर, मनरेगा जॉब कार्ड, एन.बी.ए. नम्बर, मोबाईल नम्बर आदि.	

	लाभार्थी को प्रथम किस्त	खण्ड विकास अधिकारी	03 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी	आवास स्वीकृति होने पर तथा भूमि चयन के फोटोग्राफ आवास सॉफ्ट पर अपलोड होने पर 03 दिन के भीतर प्रथम किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ.टी.ओ. सत्यापित करना.
6	लाभार्थी को द्वितीय किस्त	खण्ड विकास अधिकारी	07 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> लेन्टल लेवल निरीक्षण / फोटोग्राफ अपलोड होने के उपरान्त 7 दिन के भीतर द्वितीय किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ.टी.ओ. सत्यापित करना. <p>समय सीमा</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रथम किस्त जारी किये जाने की तारीख से 3 माह अथवा लेन्टल लेवल के एक सप्ताह में.
7	लाभार्थी को तृतीय किस्त	खण्ड विकास अधिकारी	07 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> आवास पूर्ण होने तथा निरीक्षण / फोटो ग्राफ अपलोड होने के उपरान्त शौचालय सहित 7 दिन के भीतर तृतीय किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ.टी.ओ. सत्यापित करना. तृतीय किस्त स्वच्छ शौचालय सहित मकान के निर्माण पूरा होने और लाभार्थी के उसमें रहने के पश्चात् दी जायेगी. प्रत्येक किस्त जारी किये जाने से पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकारी स्थल का दौरा और निर्माण का सत्यापन करेगा, जिसका ब्यौरा समर्थन में मोबार्डल एप्प के द्वारा फोटोग्राफ के साथ कार्यक्रम की वेबसाइट (आवास सॉफ्ट) पर अपलोड किया जाएगा. <p>समय सीमा</p> <ul style="list-style-type: none"> द्वितीय किस्त जारी किये जाने की तारीख से 3 माह अथवा शौचालय सहित आवास पूर्ण होने.
8	लाभार्थियों के चयन के लिये प्राथमिकता	---	---	---	---	<p>ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों/मानकों के अनुसार लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। पात्र लाभार्थियों में निम्न श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> मुक्त बन्धुआ मजदूर एवं सिर पर मैला ढोने वाले. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, यातनाओं से पीड़ित महिलायें, महिलायें जिनके पति तीन वर्षों से लापता है एवं महिला मुखिया परिवार.

										<ol style="list-style-type: none"> 4. मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता) 5. किन्नर (ट्रान्सजेंडर व्यक्ति). 6. सैनिक, अर्द्धसैनिक एवं पुलिस बलों के कार्यवाही के दौरान हुई विधवायें 7. अन्य आवासविहीन Seccc-2011 में सम्मिलित परिवार. मकान की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए नीव डालना और लिंटर स्तर महत्वपूर्ण चरण है अतः कम से कम इन दो चरणों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
(3) दीन दयाल ग्रामीण आवास योजना										
1	लाभार्थी चयन की प्रक्रिया	खण्ड विकास अधिकारी	45 दिन	जिला विकास अधिकारी	मु.वि. अधिकारी		योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे आवास विहीन / कच्चे आवासों वाले परिवारों के नये पक्के आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. बी.पी.एल. में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगना अधिकारी द्वारा संयुक्त परीक्षण के साथ साथ वार्षिक आय रु. 21000 /- से न्यून आय प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत हो, ऐसे ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है.			
(4) राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना										
1	लाभार्थी का चयन	खण्ड विकास अधिकारी	1 माह	---	---		क्षेत्र स्तरीय कार्मिक द्वारा ग्राम सभा में लाभार्थी का चयन एवं प्रार्थना पत्र का खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा			
2	बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषण	खण्ड विकास अधिकारी	15 दिन	जि.वि. अधिकारी / परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी					
3	अनुदान	खण्ड विकास अधिकारी	अनुदान की धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन में	जि.वि. अधिकारी / परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी					
	(5) बी.पी.एल. परिचय पत्र / प्रमाण पत्र जारी करना	खण्ड विकास अधिकारी	07 दिन	परि.निदेशक, डी.आर.डी.ए.	मु.वि.अधिकारी					

(6) विधायक निधि

1	योजना की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति		01 माह				मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर मा10 विधायकों की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात
2	योजनाओं की सूची / सूचना		15 दिन				मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर
3	योजनाओं हेतु धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत करना		15 दिन				प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृत योजनाओं के प्राकलन प्राप्ति के उपरांत

(7) सांसद निधि

1	योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना		30 दिन				जिलाधिकारी स्तर पर मा10 सांसद की संस्तुति प्राप्त होने पर
2	योजना सम्बन्धी सूचना / सूचियां		15 दिन				
3	योजनाओं हेतु कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त करना		30 दिन				प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृत योजनाओं के प्राकलन प्राप्ति के उपरांत

(8) बायोगैस कार्यक्रम

1	योजना की जानकारी एवं चयन		01 सप्ताह				ग्राम सभा की बैठक में
2	अनुदान की धनराशि अवमुक्त करना	खण्ड विकास अधिकारी	15 दिन	जिला विकास अधिकारी	मु.वि. अधिकारी		शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने तथा संयंत्र निर्माण होने के पश्चात

(9) एकिकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पी)

1	उत्पादक समूह (PG) एवं असहाय उत्पादक समूह (VPG) परियोजना द्वारा ब्लॉक स्तर पर नियुक्त तकनीकी संस्था के क्षेत्र कार्यकर्ता (आजीविका सुगमकर्ता,LF) द्वारा समुदाय को परियोजना की जानकारी देना	तकनीकी संस्था के ब्लॉक स्तरीय समन्वयक	1 से 45 (45 दिन)	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति		परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश
2	उत्पादक समूह (PG) एवं असहाय उत्पादक समूह (VPG) का गठन	तकनीकी संस्था के ब्लॉक स्तरीय समन्वयक	45 से 90 दिन (45 दिन)	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति		तकनीकी संस्था, के ब्लॉक स्तरीय समन्वयक व आजीविका सुगमकर्ता द्वारा परियोजना के मानकों के अनुरूप पाये जाने पर
3	उत्पादक समूह (PG) एवं असहाय उत्पादक समूह (VPG) को प्रथम सहयोग राशि / चकीय कोष अवमुक्त करना	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	45 से 120 दिन (75 दिन)	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति		उत्पादक समूह (PG) एवं असहाय उत्पादक समूह (VPG) द्वारा अपने समूह की खाद्य सुरक्षा परियोजना (FSIP) बनाने व समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी अंशदान राशि को समूह के खाते में जमा करने के उपरान्त प्रभागीय प्रबन्धन इकाई द्वारा चकीय कोष को अवमुक्त किया जाता है
4	टाजीविका संगठन (livelihood collectives, LC) / स्वायत्त	तकनीकी संस्था का ब्लॉक स्तरीय	45 से 180 दिन	प्रभागीय परियोजना	परियोजना निदेशक,		परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार

	सहकारिता परियोजना द्वारा ब्लॉक स्तर पर नियुक्त तकनीकी संस्था के क्षेत्र कार्यकर्ता (आजीविका सुगमकर्ता, LF) द्वारा PG/VPG सदस्यों को कलस्टर स्तर पर LC के उद्देश्य, महत्व व गठन की प्रक्रिया की जानकारी देना	समन्वयक	(135 दिन)	प्रबन्धक	उत्तराखण्ड ग्राम्य समिति विकास	
5	टंजीविका संगठन livelihood collectives, LC) / स्वायत्त सहकारिता का गठन, कार्यकारीणी का चुनाव	तकनीकी संस्था का ब्लॉक स्तरीय समन्वयक	45 से 180 दिन (135 दिन)	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति	तकनीकी संस्था के ब्लॉक स्तरीय समन्वयक व आजीविका सुगमकर्ता के द्वारा परियोजना के प्रविधानों के अनुरूप 40-60 PG/VPG को संगठित कर कलस्टर स्तर आजीविका संगठन livelihood collectives, LC) / स्वायत्त सहकारिता के रूप में पंजीकृत किया जाता है
6	आजीविका संगठन (livelihood collectives, LC) / स्वायत्त सहकारिता PG/VPG की द्वितीय सहयोग राशि / share capital अवमुक्त करना	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	90 से 180 दिन (90 दिन)	प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति	आजीविका संगठन (livelihood collectives, LC) / स्वायत्त सहकारिता के सदस्यों द्वारा अंशदान राशि को LC के खाते में जमा करने के उपरान्त चकीय कोष को LC की कार्यकारीणी को अवमुक्त किया जाता है

-5-

(एन.एस.रावत)
प्रभारी उपायुक्त(प्रशासन)
ग्राम्य विकास